प्रेस नोट- जनपद बिजनौर **दिनांक 20.08.2026**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस एवं अभियोन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से हत्या के आरोपी अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा 25 वर्ष कठोर कारावास व कुल 65,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 22.07.2025 को वादी द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त जुवैद पुत्र युसुफ निवासी ग्राम कुण्डा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा उसकी पुत्री के साथ गलत कार्य कर जाति सूचक शब्द कहे गये थे, जिसके आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 251/2025 धारा 137(2)/65(1)/351(3) बीएनएस,धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट व धारा 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत कराया गया था। अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 20.08.2026 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को 4(2) पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 25 वर्ष कठोर कारावास व कुल 65,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त के नाम व पता –

जुवैद पुत्र युसुफ निवासी ग्राम कुण्डा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट -थाना कोतवाली शहर **दिनांकः-20.08.2026**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 638/2026 धारा 304(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को छीने गये एक मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 14.08.2026 को वादी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 13.08.2026 को अज्ञात अभियुक्त उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गये है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर पर मु0अ0सं0 638/2026 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

दिनांक 20.08.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वार उपरोक्त अभियोग से संबंधित एंव प्रकाश में आयें अभियुक्त मुशाहिद पुत्र महफूज निवासी ग्राम तरीकमपुर रुपचन्द उर्फ टिक्कोपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से वादी से छीना गया एक मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। बरामदगी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुशाहिद पुत्र महफूज निवासी ग्राम तरीकमपुर रुपचन्द उर्फ टिक्कोपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी-

एक मोबाईल तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मोहित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. हे0का0 मोहित 590 कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. का सन्नी मलिक 173 कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. का0 शमीम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट -थाना शेरकोट **दिनांकः-20.08.2026**

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 143/2026 धारा 64(2)(f)बीएनएस व धारा 5(n)/6 पॉक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना एंव कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.02.2026 पीडिता द्वारा थाना बारामती जनपद पुणे (ग्रामीण) महाराष्ट्र पर तहरीर दी थी कि अभियुक्त अकरम मोहम्मद निवासी ग्राम शहजादपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर द्वारा उसके साथ गलत कार्य किया गया है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना बारामती पर जीरो एफ0आई0आर 01/2026 धारा 4/6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 64/65 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

उक्त जीरो एफआईआर के आधार पर दिनांक 05.08.2026 को थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 143/2026 धारा 64(2) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 64(2)(f) बीएनएस व धारा 5(n)/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियोग मे साक्ष्य के आधार पर एक अन्य अभियुक्त नूरआलम पुत्र हसीनुद्दीन निवासी ग्राम जंसवतपुर उर्फ लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर की संलिप्ता प्रकाश मे आयीं।

कार्यवाही-

दिनांक 20.08.2026 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त नूरआलम को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नूरआलम पुत्र हसीनुद्दीन निवासी ग्राम जंसवतपुर उर्फ लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तारी टीम का विवरण-

1.श्री रामप्रताप सिंह थानाध्यक्ष थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3.हे0का0 652 चैन सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर